



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2016/माघ 8, 1937

No. 230]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2016/MAGHA 8, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2016

**का.आ. 260(अ).**—केन्द्रीय सरकार का ध्यान विभिन्न अभ्यावेदनों के माध्यम से पश्चिमी बंगाल के चाय बागानों की विगड़ती दशा, विशिष्टतया मेसर्स डंकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वामित्व वाले और उनके द्वारा प्रबंधित चाय बागानों की ओर आकृष्ट किया गया है।

और, केन्द्रीय सरकार के निर्देशाधीन चाय बोर्ड द्वारा मेसर्स डंकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वामित्व वाले सभी चौदह बागानों का निरीक्षण किया गया और एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की;

और, पश्चिमी बंगाल में प्रभावित चाय बागानों की स्थिति संबंधी एक रिपोर्ट भी पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार से प्राप्त हुई थी;

और, उक्त चाय बागानों की स्थिति का निर्धारण चाय बोर्ड और पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार की रिपोर्ट तथा चाय सेक्टर के पणधारियों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया है ;

और, केन्द्रीय सरकार की सुविचारित राय में नीचे यथा सूचीबद्ध चाय बागानों को इस प्रकार से प्रबंधित किया जा रहा है जो चाय उद्योग एवं लोकहित के लिए अत्यधिक हानिकारक है:

- (i) बीरपाड़ा चाय संपदा
- (ii) गरगंडा चाय संपदा
- (iii) लंकापाड़ा चाय संपदा
- (iv) तुलसीपाड़ा चाय संपदा
- (v) हुंटापाड़ा चाय संपदा

- (vi) धुमचीपाड़ा चाय संपदा  
(vii) डेमडिमा चाय संपदा

अतः, अब, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 16ड. की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार चाय बोर्ड को चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) के अध्याय IIIक के उपबंधों के अनुसार प्रबंध ग्रहण करने के लिए तत्काल कदम उठाने अथवा उपर्युक्त सात चाय बागानों को नियंत्रित करने हेतु प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. टी-22015/1/2016-बागान(क)]

रजनी रंजन रश्मि, अपर सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2016

**S.O. 260(E).**—Whereas attention of the Central Government has been drawn through various representations to the deteriorating condition of the tea gardens of West Bengal, in particular the tea gardens owned and managed by M/s Duncan Industries Ltd.

And whereas, the Tea Board under direction of the Central Government caused inspection of all the fourteen gardens owned by M/s Duncan Industries Ltd. and submitted a report;

And whereas, a report on the status of stressed tea gardens in West Bengal was also received from the State Government of West Bengal;

And whereas, the situation of the said tea gardens has been assessed by the Central Government on the basis of the report of the Tea Board and the State Government of West Bengal and consultations with the stakeholders of tea sector;

And whereas, the Central Government is of the considered opinion that the tea gardens as listed below are being managed in a manner highly detrimental to the tea industry and to public interest:

- (i) Birpara Tea Estate
- (ii) Garganda Tea Estate
- (iii) Lankapara Tea Estate
- (iv) Tulsipara Tea Estate
- (v) Huntapara Tea Estate
- (vi) Dhumchipara Tea Estate
- (vii) Demdima Tea Estate

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 16E of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby authorises the Tea Board to take immediate steps to take over the management or the control of the above seven tea estates as per the provisions of Chapter IIIA of the Tea Act, 1953 (29 of 1953).

[F. No. T-22015/1/2016-Plant(A)]

RAJANI RANJAN RASHMI, Addl. Secy.